

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-9
संख्या-सी0एम0-147 / पॉच-9-2016
लखनऊ:दिनांक: 03 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती पक्षालिका सिंह पत्नी श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह, जनपद-आगरा को एक वर्ष के लिये परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन का सलाहकार नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2- श्रीमती पक्षालिका सिंह को वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4 / जी-2-144 / दस-2014-1(विविध) / दस-2014, दिनांक 15.12.2014 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित सुविधायें तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होंगी।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-^{८७१५७} (1) / पॉच-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) श्रीमती पक्षालिका सिंह पत्नी श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह, जनपद-आगरा।
- (2) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्रीगण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- (3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- (4) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- (5) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उ0प्र0।
- (7) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (8) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- (9) महानिदेशक, परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
- (10) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
- (11) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- (12) विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (13) गोपन अनुभाग-1 / इरला चेक अनुभाग-1 / वित्त (सामान्य) अनुभाग-2।
- (14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Brajesh Narain
(बी0एन0 सिंह)
विशेष सचिव।